माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

<u>नीलामी सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ** के **'एम' ब्लाक** में स्थिति **52 केबिनों (<u>भूतलः</u> 32 केबिन टंकक, 1 केबिन पी0सी0ओ/फैक्स, 2 केबिन बैण्ड/गाउन/कोट विक्रेता, 2 केबिन स्टेषनरी विक्रेता, 5 केबिन विधि पुस्तक विक्रेता व <u>प्रथम तलः</u> 10 केबिन स्टाम्प वेण्डर्स हेतु)** व **15 दुकानों (<u>भूतलः</u> 11 दुकानें फोटोकापी, 2 दुकानें प्रतिष्ठित विधि पुस्तक प्रकाषक/कम्पनी व <u>प्रथम तलः</u> 2 दुकानें फोटोग्राफी हेतु)** को **वार्षिक अनुज्ञप्ति** पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्त्यिों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

52 केबिनों (<u>भूतलः</u> 32 केबिन टंकक, 1 केबिन पी0सी0ओ/फैक्स, 2 केबिन बैण्ड/गाउन/कोट विक्रेता, 2 केबिन स्टेषनरी विक्रेता, 5 केबिन विधि पुस्तक विक्रेता व <u>प्रथम तलः</u> 10 केबिन स्टाम्प वेण्डर्स हेतु) की **नीलामी दिनांक 28.01.2017 (षनिवार)** को **प्रातः 11.00 बजे माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लाक परिसर** में की जायेगी। केबिनों के उपयोग व नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते आवेदन पत्र के साथ संलग्न है जिन्हे इच्छुक व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 27.01.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रूपये 50.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 27.01.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

15 दुकानों (<u>भूतलः</u> 11 दुकानें फोटोकापी, 2 दुकानें प्रतिष्ठित विधि पुस्तक प्रकाषक/कम्पनी व <u>प्रथम तलः</u> 2 दुकानें फोटोग्राफी हेतु) की **नीलामी दिनांक 08.02.2017 (बुधवार)** को **प्रातः 11.00 बजे माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लाक परिसर** में की जायेगी। दुकानों के उपयोग व नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते आवेदन पत्र के साथ संलग्न है जिन्हे इच्छुक व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 06.02.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रूपये 100.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 06.02.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'वरिष्ठ निबन्धक, हाई कोर्ट, लखनऊ' के नाम रूपये 50.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) केबिन के सम्बन्ध में तथा रूपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

केबिनों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के गेट न0.6 के निकट, फैजाबाद रोड की तरफ स्थित 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 27.01.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है तथा दुकानों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के गेट न0.6 के निकट, फैजाबाद रोड की तरफ स्थित 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 06.02.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। वरिष्ठ निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकता है।

दिनांक 20.01.2017

वरिष्ठ निबन्धक
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

कार्यालय वरिष्ठ निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय
लखनऊ पीठ, लखनऊ

<u>नीलामी सूचना</u>

संख्या : 15 दुकानें
विषय : वार्षिक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु दुकानों की नीलामी
नीलामी की तिथि : 8 फरवरी, 2017
स्थान : 'एम' ब्लाक, माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ।
दुकानों का विवरण : 'एम' ब्लाक, माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ

क्रम संख्या	दुकान संख्या, (जैसा कि प्रत्येक दुकान में अंकित है)	दुकान का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	दुकान का प्रकार (जिस हेतु दुकान अनुज्ञप्ति पर दिया जाना है)
	'एम ब्लाक' भूतल		
1	3	192.46	प्रतिष्ठित विधि पुस्तक प्रकाषक/कम्पनी हेतु
2	4	185.82	प्रतिष्ठित विधि पुस्तक प्रकाषक/कम्पनी हेतु
3	7	179.19	फोटोकापी दुकान हेतु
4	8	178.57	फोटोकापी दुकान हेतु
5	9	191.66	फोटोकापी दुकान हेतु
6	10	185.31	फोटोकापी दुकान हेतु
7	11	183.49	फोटोकापी दुकान हेतु
8	12	188.40	फोटोकापी दुकान हेतु
9	13	185.13	फोटोकापी दुकान हेतु
10	14	188.40	फोटोकापी दुकान हेतु
11	15	175.30	फोटोकापी दुकान हेतु
12	16	172.00	फोटोकापी दुकान हेतु
13	17	172.00	फोटोकापी दुकान हेतु
	'एम ब्लाक' प्रथम तल		
14	101	174.21	फोटोग्राफी दुकान हेतु
15	102	184.99	फोटोग्राफी दुकान हेतु

<u>नीलामी की शर्ते</u>

1. दुकानें, 'जहॉ है जैसी है' की स्थिति में दिनांक 31.03.2018 तक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेंगी।

2. दुकानों के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **अग्रिम जमानत राषि रू0 20,000.00** नकद जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम जमानत राषि उसके वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी।

3. काई भी अपराधिक इतिहास/अपराधिक प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति नीलामी में भाग नही ले सकता है। इस सम्बन्ध में नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा सत्यापित करवा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

4. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन–पत्र पर, जिसका मूल्य रूपये 100.00 प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोकि माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 06.02.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तथा पूर्ण रूप से भरे जाने के पष्चात् इन आवेदन पत्रों को दिनांक 06.02.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

5. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यकित को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

6. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 06.02.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

7. नीलाम होने वाली दुकानों को नीलामी वाले दिन नीलामी के समय से 2 घण्टे पूर्व गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास/अनुमति प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय में स्थित 'एम' ब्लाक में देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त दुकानों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

8. किसी भी दुकान की बोली हेतु **न्यूनतम निर्धारित मूल्य (वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क) रू0 2,30,000.00** हैं तथा जो भी व्यक्ति सम्बन्धित दुकान की उच्चतम बोली लगायेगा उसे वह दुकान दे दी जायेगी।

9. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की 25 प्रतिषत धनराषि (अग्रिम जमानत धनराषि समायोजित करने के पष्चात् शेष धनराषि) तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 25 प्रतिषत धनराषि तुरन्त जमा नही की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमानत की अग्रिम धनराषि जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित दुकान को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा इस प्रकार आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार उपरोक्त शर्तों को पालन किया जायेगा।

10. शेष 75 प्रतिषत धनराषि सफल व्यक्ति को नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की धनराषि जब्त कर ली जायेगी तथा पहले से जमा 25 प्रतिषत धनराषि भी नीलामी समिति के विवेकानुसार जब्त की जा सकती है।

11. नीलामी की गयी दुकान का कब्जा उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा, जबकि उसने दुकान के वार्षिक अनुज्ञपप्ति शुल्क का पूरा भुगतान कर दिया हो।

12. वर्तमान में दुकान के अस्थायी अनुज्ञप्ति धारक भी इस नीलामी में भाग ले सकते है और यदि वें इस नीलामी में भाग नही लेते है या इस नीलामी में सफल नही होते है, तो उन्हें दिनांक 31.03.2017 को रात्रि 12.00 बजे तक वर्तमान में अस्थायी तौर पर आवंटित दुकान खाली कर उसका कब्जा नजारत विभाग को देना होगा।

13. बोली में सफल व्यक्ति को दुकान लेने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के साथ एक वर्ष के लिये रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिषियल स्टैम्प पेपर पर अनुज्ञंप्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होगें।

14. बोली में सफल जिस व्यक्ति को दुकान दी जायेगी, वह व्यक्ति दिनांक 31.03.2018 तक दुकान से अपना सामान हटा कर रात्रि 12.00 बजे तक या उससे पहले दुकान खाली कर देगा।

15. जिस उद्देष्य हेतु दुकान की नीलामी की जायेगी, वह दुकान उसी उद्देष्य हेतु प्रयोग की जायेगी, अन्य किसी प्रकार से नही।

16. बोली में सफल व्यक्ति दुकान को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा।

17. बोली में सफल व्यक्ति दुकान में कूड़ादान रखेगा तथा कूड़ा–कचरा उसी कूड़ादान मे डालेगा।

18. बोली में सफल व्यक्ति दुकान की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नही करेगा और न ही दुकान की भौतिक स्थिति को कोई नुकसान पहुचायेगा।

19. दुकान में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं दुकान रखने वाली की होगी तथा माननीय उच्च न्यायालय किसी भी दषा में चारी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नही होगा।

20. दुकानों का संचालन सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक किया जा सकेगा।

21. दुकान मे प्रयोग की जाने वाली बिजली के लिये अलग से एक सब–मीटर लगा हुआ है तथा दुकान लेने वाले व्यक्ति को मीटर की रीडिंग के अनुसार प्रति माह उ0 प्र0 में प्रचलित बिजली दर के अनुसार उच्च न्यायालय के कैष विभाग में जमा करना होगा।

22. दुकानों में सामान्य बिजली कनेक्षन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विषेष प्रकार की बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है। इस स्थिति में दुकान को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को हटाना होगा तथा ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नही कारित की जायेगी।

23. एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान अनुज्ञप्ति पर नही दी जायेगी।

24. जिस व्यक्ति को दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति का वह दुकान संचालन हेतु नही देगा।

25. बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर दुकान प्राप्त करने के पष्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान हस्तांतरित नही कर सकता है।

26. फोटोकापी की दुकान के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, जिसको दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जाती है, वह दुकान में अधिकतम तीन फोटोकापी मषीन ही रख सकता है।

27. माननीय उच्च न्यायालय प्रषासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान किसी भी दुकान के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

28. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रषासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

29. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।

30. उपरोक्त नीलामी की शर्तों के विषय में दोनो पक्षों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पीड़ित पक्ष मामले के निवारण हेतु मामले को किसी तृतीय सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा फिर भी यदि दोनो पक्षों की संतुष्टि के अनुसार विवाद का निवारण नहीं होता है, तो पीड़ित पक्ष आर्बिट्रेषन एण्ड कंषिलिएषन एक्ट, 1996 के प्रावधानों के अनुसार विवाद के निवारण हेतु किसी मध्यस्थ की नियुक्ति के लिये आवष्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

31. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

32. नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों की जानकारी दी जायेगी।

आज्ञा से,

वरिष्ठ निबन्धक
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

कार्यालय वरिष्ठ निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय
लखनऊ पीठ, लखनऊ

<u>नीलामी सूचना</u>

संख्या : 52 केबिन
विषय : वार्षिक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु केबिनों की नीलामी
नीलामी की तिथि : 28 जनवरी, 2017
स्थान : 'एम' ब्लाक, माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ।
दुकानों का विवरण : 'एम' ब्लाक, माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ

क्रम संख्या	केबिन संख्या (जैसा कि प्रत्येक केबिन में अंकित है)	केबिन का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	केबिन का प्रकार (जिस हेतु अनुज्ञप्ति पर दिया जाना है)
	'एम ब्लाक' भूतल		
1	18	57	फैक्स/पी0सी0ओ0 हेतु
2	19	57	बैण्ड/गाउन/कोट के विक्रय हेतु
3	20	57	बैण्ड/गाउन/कोट के विक्रय हेतु
4	21	38	स्टेषनरी के विक्रय हेतु
5	22	38	स्टेषनरी के विक्रय हेतु
6	23	38	विधि पुस्तकों की बिकी हेतु
7	24	38	विधि पुस्तकों की बिकी हेतु
8	25	38	विधि पुस्तकों की बिकी हेतु
9	26	38	विधि पुस्तकों की बिकी हेतु
10	27	38	विधि पुस्तकों की बिकी हेतु
11	28	38	टंकक हेतु
12	29	38	टंकक हेतु
13	30	38	टंकक हेतु
14	31	38	टंकक हेतु
15	32	38	टंकक हेतु
16	33	38	टंकक हेतु
17	34	38	टंकक हेतु
18	35	38	टंकक हेतु
19	36	34.30	टंकक हेतु

20	37	34.30	टंकक हेतु
21	38	34.30	टंकक हेतु
22	39	38	टंकक हेतु
23	40	38	टंकक हेतु
24	41	38	टंकक हेतु
25	42	39	टंकक हेतु
26	43	39	टंकक हेतु
27	44	39	टंकक हेतु
28	45	38.52	टंकक हेतु
29	46	38.52	टंकक हेतु
30	47	38.52	टंकक हेतु
31	48	38.52	टंकक हेतु
32	49	38.52	टंकक हेतु
33	50	38.52	टंकक हेतु
34	51	39.58	टंकक हेतु
35	52	39.58	टंकक हेतु
36	53	39.58	टंकक हेतु
37	54	39.58	टंकक हेतु
38	55	39.58	टंकक हेतु
39	56	39.58	टंकक हेतु
40	57	38.52	टंकक हेतु
41	58	38.52	टंकक हेतु
42	59	38.52	टंकक हेतु
	‘एम ब्लाक’ प्रथम तल		
43	108	57	स्टैम्प वेण्डर्स हेतु
44	109	57	स्टैम्प वेण्डर्स हेतु
45	110	57	स्टैम्प वेण्डर्स हेतु
46	111	38	स्टैम्प वेण्डर्स हेतु
47	112	38	स्टैम्प वेण्डर्स हेतु
48	113	38	स्टैम्प वेण्डर्स हेतु
49	114	38	स्टैम्प वेण्डर्स हेतु
50	115	38	स्टैम्प वेण्डर्स हेतु
51	116	38	स्टैम्प वेण्डर्स हेतु
52	117	38	स्टैम्प वेण्डर्स हेतु

<u>नीलामी की शर्तें</u>

1. केबिन, 'जहॉ है जैसी है' की स्थिति में दिनांक 31.03.2018 तक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेंगी।

2. केबिन के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **अग्रिम जमानत राषि रू0 5,000.00** नकद जमा करना होगा, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दिया जायेगा तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम जमानत राषि उसके वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी।

3. काई भी अपराधिक इतिहास/अपराधिक प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति नीलामी में भाग नही ले सकता है। इस सम्बन्ध में नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा सत्यापित करवा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

4. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन–पत्र पर, जिसका मूल्य रूपये 50.00 प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोकि माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 27.01.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तथा पूर्ण रूप से भरे जाने के पष्चात् इन आवेदन पत्रों को दिनांक 27.01.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

5. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यकित को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड /मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

6. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्षन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 27.01.2017 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

7. नीलाम होने वाली केबिनों को नीलामी वाले दिन नीलमी के समय से 2 घण्टे पूर्व तक गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास/अनुमति प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय में स्थित 'एम' ब्लाक में देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त केबिन का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

8. किसी भी केबिन की बोली हेतु **न्यूनतम निर्धारित मूल्य (वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क) रू0 20,000.00** हैं तथा जो भी व्यक्ति सम्बन्धित केबिन की उच्चतम बोली लगायेगा उसे वह केबिन दे दी जायेगी।

9. क्रम संख्या 7 में वर्णित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के अतिरिक्त केबिन लेने वाले व्यक्ति को निम्न लिखित धनराषि भी देनी होगीः–

क– **रूपये 110.00 प्रति माह,** बिजली के बल्ब और पंखे के उपयोग हेतु
ख– **रूपये 330.00 प्रति माह,** यदि कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है
बिजली की उपरोक्त दर को आवष्यकता पढ़ने पर संषोधित किया जा सकता है।

10. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की 25 प्रतिषत धनराषि (अग्रिम जमानत धनराषि समायोजित करने के पष्चात् शेष धनराषि) तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 25 प्रतिषत धनराषि तुरन्त जमा नही की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमानत की अग्रिम धनराषि जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित केबिन को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा इस प्रकार आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार उपरोक्त शर्तों को पालन किया जायेगा।

11. शेष 75 प्रतिषत धनराषि सफल व्यक्ति को नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की धनराषि जब्त कर ली जायेगी तथा तथा पहले से जमा 25 प्रतिषत धनराषि भी नीलामी समिति के विवेकानुसार जब्त की जा सकती है।

12. नीलामी की गयी केबिन का कब्जा उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा जबकि उसने केबिन के वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का पूरा भुगतान कर दिया हो।

13. वर्तमान में केबिन के अस्थायी अनुज्ञप्ति धारक भी इस नीलामी में भाग ले सकते है और यदि वें इस नीलामी में भाग नही लेते है या इस नीलामी में सफल नही होते है, तो उन्हें दिनांक 31.03.2017 को रात्रि 12.00 बजे तक वर्तमान में अस्थायी तौर पर आवंटित केबिन खाली कर उसका कब्जा नजारत विभाग को देना होगा।

14. बोली में सफल व्यक्ति को केबिन देने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के साथ एक वर्ष के लिये रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिषियल स्टैम्प पेपर पर अनुज्ञंप्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होगें।

15. बोली में सफल जिस व्यक्ति को केबिन दी जायेगी, वह व्यक्ति दिनांक 31.03.2018 तक केबिन से अपना सामान हटा कर रात्रि 12.00 बजे तक या उससे पहले केबिन खाली कर देगा।

16. जिस उद्देष्य हेतु केबिन की नीलामी की जायेगी, वह केबिन उसी उद्देष्य हेतु प्रयोग की जायेगी, अन्य किसी प्रकार से नही।

17. बोली में सफल व्यक्ति केबिन को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा।

18. बोली में सफल व्यक्ति केबिन में कूड़ादान रखेगा तथा कूड़ा–कचरा उसी कूड़ादान मे डालेगा।

19. बोली में सफल व्यक्ति केबिन की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नही करेगा और न ही केबिन की भौतिक स्थिति को कोई नुकसान पहुचायेगा।

20. केबिन में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं केबिन रखने वाली की होगी तथा माननीय उच्च न्यायालय किसी भी दषा में चारी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नही होगा।

21. केबिन के संचालन सबुह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक किया जा सकेगा।

22. केबिन में सामान्य बिजली कनेक्षन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विषेष प्रकार की बिजली के उपरण लगाना चाहता है तो वह स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है। इस स्थिति में केबिन को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को हटाना होगा।था ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नही कारित की जायेगी।

23. एक व्यक्ति को केवल एक ही केबिन अनुज्ञप्ति पर दिया जायेगा। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक केबिन अनुज्ञप्ति पर नही दिया जायेगा।

24. जिस व्यक्ति को केबिन अनुज्ञप्ति पर दिया जायेगा, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति का वह केबिन संचालन हेतु नही देगा।

25. जिस व्यक्ति को टंकण कार्य हेतु केबिन दिया जायेगा, वह स्वयं ही टंकण का कार्य करेगा तथा किसी भी अन्य व्यक्ति को टंकण का कार्य करने की अनुमति नही होगी।

26. बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर केबिन प्राप्त करने के पष्चात् किसी अन्य व्यक्ति को केबिन हस्तांत्रित नही कर सकता है।

27. माननीय उच्च न्यायालय प्रषासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान किसी भी केबिन के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

28. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रषासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

29. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।

30. उपरोक्त नीलामी की शर्तों के विषय में दोनो पक्षों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पीड़ित पक्ष मामले के निवारण हेतु मामले को किसी तृतीय सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा फिर भी यदि दोनो पक्षों की संतुष्टि के अनुसार विवाद का निवारण नहीं होता है, तो पीड़ित पक्ष आर्बिट्रेषन एण्ड कंषिलिएषन एक्ट, 1996 के प्रावधानों के अनुसार विवाद के निवारण हेतु किसी मध्यस्थ की नियुक्ति के लिये आवष्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

31. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

32. नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों की जानकारी दी जायेगी।

आज्ञा से,

वरिष्ठ निबन्धक
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के 'एम' ब्लाक में स्थित **केबिन** को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. प्रार्थी का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. लिंग :

4. उम्र :

5. पता :

6. राष्ट्रीयता :

7. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से डाउन लोड किया गया है तो :

   डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि

दिनांक : आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

संलग्नक

नोट :

1. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

2. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठत व्यक्ति द्वारा सत्यापित करवा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

आवेदनकर्ता
का
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के 'एम' ब्लाक में स्थित **दुकान** को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम :
(जिसके नाम आवेदन किया जाना है)

2. पिता/पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम :

3. लिंग :

4. उम्र :

5. पता :

6. राष्ट्रीयता :

7. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से डाउन लोड किया गया है तो :

डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम

डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम

डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या

डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि

दिनांक : आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

संलग्नक

नोट :

1. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

2. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठत व्यक्ति द्वारा सत्यापित करवा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।